जनप्रतिनिधित्व कानून का बढ़ता शिकंजा

SPRF.IN

०५
२३

| विवेक वार्ष्णेय

इशू ब्रीफ

Cover Image credits: *wallpaperflare*

If you have any suggestions, or would like to contribute, please write to us at contact@sprf.in

© Social Policy Research Foundation™

मई २०२३

इशू ब्रीफ

जनप्रतिनिधित्व कानून का बढ़ता शिकंजा

| विवेक वार्ष्णेय

लोकतंत्र को अपराधियों की छाया से मुक्त करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पहले एक अहम फैसला दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दागी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बरकरार रखने का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद भारतीय राजनीति के अपराधीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद और उनकी संसद सदस्यता निरस्त होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून का यह प्रावधान एक बार फिर चर्चा में है। क्या है यह कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राजनीति के अपराधीकरण पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है और क्या इसमें फिर बदलाव की जरूरत है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर इस कानून का विश्लेषण जरूरी है।

लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को दूर करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने उन सांसदों और विधायकों को विधायिका से बेदखल करने का महत्वपूर्ण निर्णय जुलाई 2013 में दिया था। इस फैसले से दो साल से अधिक सजा प्राप्त सांसद या एमएलए दोषी करार दिए जाने के दिन से ही संसद या विधान सभा की सदस्यता खो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित नेताओं को संरक्षण प्रदान करने वाली जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वकील लिली थॉमस और एनजीओ लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर 10 जुलाई, 2013 को यह ऐतिहासिक फैसला दिया था। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 की विस्तृत व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद और विधान सभा के सदस्यों को अयोग्य करार देने के लिए प्रावधान निर्धारित हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल से अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति संसद या विधान सभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। अगर निर्वाचन के लिए इस तरह का प्रावधान है तो निर्वाचित सांसद या विधायक संसद या राज्य की विधान सभा का सदस्य जारी कैसे रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 102 तथा 191 के तहत संसद को इस प्रकार का कानून बनाने की इजाजत ही नहीं है, इसलिए धारा 8(4) गैर-कानूनी है।

फैसले के अनुसार, आरपीए की धारा 8(3) के तहत दो साल या उससे अधिक सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाए, जो अगले छह साल तक लागू रहता है। लेकिन धारा 8(4) में कहा गया था कि जन-प्रतिनिधियों को तभी अयोग्य करार दिया जा सकता है, जब तीन माह के भीतर उसकी ओर से दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील न दायर की गई हो। अपील लंबित रहने तक उसकी सदस्यता बनी रहेगी।

निर्वाचित और निर्वाचन के इच्छुक व्यक्ति में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस मामले में दो समूहों के बीच असमानता को रेखांकित किया था। अदालत का मत था कि जब दो साल या उससे अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लडने के अयोग्य है तो निर्वाचित होने के बाद यदि वह इसी श्रेणी में आ जाता है तो उसकी संसद या विधान सभा की सदस्यता बरकरार कैसे रह सकती है। दो सदस्यीय बेंच का कहना था कि चुनाव लडने के लिए और चुनाव के बाद निर्वाचित होने पर अलग-अलग कानून नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में स्टे मिलने पर सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले और अपील पर स्टे के बीच समय के अंतराल को कैसे भरा जाएगा, इस पर अपना मत नहीं दिया था।

दोषसिद्धि पर रोक जरूरी

लोक प्रहरी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग(2018) के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है तो सदन से अयोग्यता लागू नहीं होगी और संसद या विधान सभा का सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता इसी रूलिंग के कारण बहाल हुई। हत्या के प्रयास के एक मामले ने सत्र अदालत ने उन्हें दस

साल की सजा सुनाई थी। अदालत के निर्णय के दो दिन बाद उनकी लोक सभा के सदस्यता निरस्त कर दी गई। केरल हाई कोर्ट ने 25 जनवरी, 2023 को उनकी सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। उसके बाद उनकी लोक सभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया।

उप-चुनाव की अनिवार्यता

लक्षद्वीप के मामले में एक और पेंच सामने आया। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी, 2023 को उप-चुनाव की घोषणा कर दी। हालांकि केरल हाई कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक के कारण फैजल की सदस्यता बहाल करने का रास्ता खुल गया लेकिन अदालती निर्णयों में देरी कोई नई बात नहीं है। यदि इस बीच उप-चुनाव हो जाए तो निश्चित ही एक नया सदस्य निर्वाचित होकर आएगा। उप-चुनाव के बाद यदि संसद की सदस्यता खोने वाले राजनीतिज्ञ को उच्चतर अदालत से दोषसिद्धि पर रोक का आदेश हासिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के फैसले में इन सभी वजहों पर विस्तार से चर्चा नहीं की। लोकतंत्र में निर्वाचन का अपना महत्व है। मतदाता अपने प्रतिनिधि को पांच साल के लिए चुनकर संसद या विधान सभा में भेजता है। यदि निर्वाचित सदस्य इन पांच वर्षों के दौरान अदालत से सजा पा जाता है और उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है तो उसके निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। विधान सभा या लोक सभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, वह सरकार का गठन करती है। कभी-कभी यह बहुमत बहुत बारीक होता है। कुछ सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने से सत्ता भी बदल सकती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर धारा 8(4) के तहत तीन माह का समय अपील के लिए दिया गया था। लिली थॉमस के जजमेंट के अस्तित्व में आने के बाद 34 जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता खो चुके हैं। इनमें लगभग सभी दलों के सदस्य शामिल हैं। राहुल गांधी के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव लिली थॉमस के जजमेंट का शिकार हो चुके हैं।

REFERENCES

1 Lily Thomas Vs Union of India- Supreme Court of India, 10th July, 2013, Writ Petition (Civil) No. 490 of 2005

2 Lok Prahri Vs Election Commission of India(2018) Supreme Court of India

3 Article 102 and 191 of Constitution of India

4 Representation of People Act, 1951-Section 8(1)(2)(3)(4)

5 170th Report of Law Commission of India

6 Election Commission of India Vs Saka Venkat Rao(AIR 1953 SC 210)

7 K Prabhakaran Vs P Jayarajan etc. (2005) 1 SCC 754

8 Navjot Singh Sidhu Vs State of Punjab and Another(2007) 2 SCC 574

9 The Representation of People(Amendment and Validation) ordinance, 2013

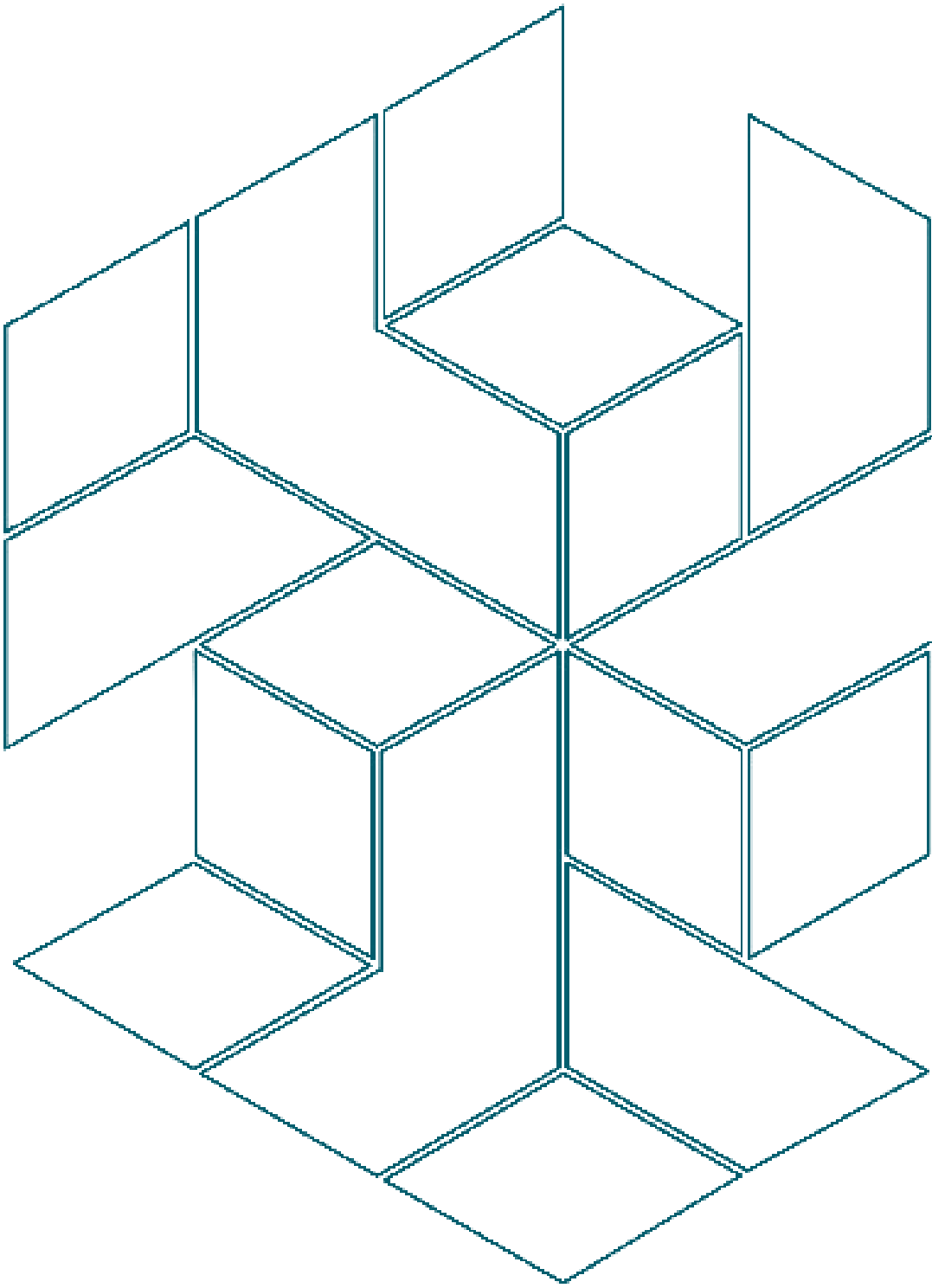

SPRF.IN